After 8 months, Sebi eases some surveillance measures

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 25

RELAXATIONS

- Sebi cites "changed market environment" as reason
- If MWPL utilisation in a security crosses 95%, derivative contracts to enter into a ban period
- Any increase in open positions would attract appropriate penal or disciplinary action of the stock exchanges

SEBI ON WEDNESDAY relaxed certain surveillance measures, including those pertaining to market-wide position limits that were put in place eight months ago to curb volatility in the markets due to Covid. Citing the "changed market environment", Sebi has decided to relax the measures with respect to increased margin for non-F&O stocks and revised market-wide position limits.

Steps related to flexing of dynamic price band for F&O stocks and equity index derivatives (F&O) would continue to be in force, Sebi said in a statement.

The surveillance measures, announced in March, are in force till November 26. They are aimed at ensuring orderly trading and settlement, effective risk management, price discovery and maintenance of market integrity.

Among the measures, the watchdog had increased the margin requirement for non-F&O stocks in cash market and revised Market Wide Position Limit (MWPL) from 95% to 50% of existing levels in a phased manner.

These two measures would be relaxed with effect from close of business on November 26.

"Based on market feedback and changed market environment, the above regulatory measures have been reviewed," the statement said. Besides, Sebi said MWPL would be withdrawn subject to continuation of certain conditions till further directions.

In case MWPL utilisation in a security crosses 95%, derivative contracts will enter into a ban period. Then, all clients or trading members are required to trade in the derivative contracts of said scrips only to decrease their positions through offsetting positions, Sebi said. Any increase in open positions would attract appropriate penal or disciplinary action of the stock exchanges or clearing corporations, it added.

Further, stock exchanges or clearing corporation would continue to check on an intraday basis whether any member or client has exceeded their existing positions or has created a new position in the scrips in the new ban period.

According to Sebi, dynamic price bands for F&O stocks could be flexed only after a cooling-off period of 15 minutes from the time of meeting the existing criteria specified by the stock exchanges for flexing.

Non-life insurers report gross direct premium of ₹15,855 cr in October

Motor insurance, which was going through a challenging period due to the fall in new vehicles sales, saw premiums grew in October

FE BUREAU
Mumbai, November 25

NON-LIFE INSURERS REPORTED gross direct premium of ₹15,855.11 crore in October, down 0.42% year-on-year. However, motor insurance, which was going through a challenging period in the last few months due to the fall in new vehicles sales, saw premiums pick up in October. The pace of the growth in health insurance slowed due to the fall in group health premiums.

Data from Kotak Institutional Equities show that gross direct premium for motor insurance was ₹7,183.5 crore in October, compared with ₹6,954.1 crore in the same month last year, a growth of 3%. Motor insurance, which has two segments — motor own damage (OD) and motor third party (TP), also saw growth in October.

Motor TP insurance is mandatory, with premium being fixed by the regulator on an annual basis. Insurers, on the other hand, fix their own rates for OD and personal accident cover. Gross direct premium for motor TP was ₹4,306.4 crore in October, up 4% compared with ₹4,139.4 crore in October last year. Premiums for motor OD went up by 2% to ₹2,877 crore in the month under review.

Gross direct premiums for health insurance stood at ₹4,074.8 crore, against ₹3,840.6 crore in the year-ago period, growing by 6%

"Robust festive demand and a gradual rise in freight volumes and utilisation rates supported premiums. Motor premiums have gradually improved from trough levels observed in April and May and will likely improve further," said the Kotak report.

Motor insurance is an important segment in the non-life industry as it commands market share of around 30% of overall premiums.

Health insurance also saw surge in premiums in October. Gross direct premiums for health insurance stood at ₹4,074.8 crore, against ₹3,840.6 crore in the year-ago period, growing by 6%. Retail health saw surge in premiums by 30% to ₹1,982.6 crore. In the last few months, the pace of growth in retail health has slowed down, market players said.

"A slowdown in growth in retail health was likely an interplay of slowdown in daily new Covid cases in India and lower volumes during the festive season. Standalone health insurers reported a 32% Y-o-Y increase in health premiums, led by a 43% Y-o-Y increase in the retail health business," said the report from Kotak Institutional Equities.

Lenders give in-principle nod to Kesoram resolution plan

FE BUREAU
Kolkata, November 25

BK BIRLA GROUP flagship Kesoram Industries on Wednesday said its lenders have given their in-principle approval to a resolution plan to raise funds and restructure debts.

"The consortium of lenders have given its in-principle approval to the resolution plan of the company formulated under the Reserve Bank of India (Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets) Directions, 2019, issued by the RBI vide its circular dated June 7, 2019," the company said in a stock exchange filing. The total debt of the company currently stands at over ₹2,000 crore.

"We are going through a settlement with the banks through a combination of debt and cash. We are doing a couple of things – probably debt can be replaced by debt. We are repaying banks with cash predominantly. An investor (US-based investment management firm) is putting in money," a company source told *FE*. "We are looking at targeting the debt to around ₹1,800-1,900 crore post the resolution," the person said.

"The parent is working towards a resolution plan with the lenders and has signed a non-binding term sheet with a potential investor, which will enable the group to scale up its operations and meet the remaining financial obligations," Kesoram had said in its latest annual report.

Strike: Banking ops may be hit today

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 25

BANKING OPERATIONS ACROSS the country may be impacted on Thursday as some bank unions would be joining the one-day nationwide strike called by central trade unions.

Ten central trade unions, except the Bharatiya Mazdoor Sangh, will observe the nation-wide general strike to protest against various policies of the central government.

Many lenders, including IDBI Bank and Bank of Maharashtra, in regulatory filings on Wednesday said their normal working could be affected at the branches and offices.

The All India Bank Employees' Association (AIBEA), All India Bank Officers Association (AIBOA) and Bank Employees Federation of India (BEFI) are participating in the strike.

Bank employees will protest against the privatisation of banks and outsourcing and contract system in jobs in the sector.

Fino Payments Bank reports profit for three straight qtrs

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, November 25

FINO PAYMENTS BANK on Wednesday reported a net profit of ₹4.5 crore for the July-September period, making it the third consecutive quarter that it has ended in the black.

The payments bank, which has a network in 700 districts of the country through 5.5 lakh merchant points, had reported a post-tax net profit of ₹1.9 crore in the June quarter and ₹1.3 crore in the March quarter, which was also its maiden three-month of profit.

It had posted a loss of ₹11.1 cr in Q2 FY20.

Chief financial officer Ketan Merchant said it is confident of growing the bottom line by 35-40% every quarter as compared to the preceding one.

Overall revenue rose to ₹187 crore in Q2FY21, against ₹167 crore in the year-ago period and ₹141 crore in the June quarter, he said. "We have cracked the code of making the business sustainable through the low-cost asset model."

आय से अधिक संपत्ति मामले में शिवकुमार की सीबीआइ के सामने हुई पेशी

बंगलुरु, 25 नवंबर (भाषा)।

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को बंगलुरु में पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश हुए।

सीबीआइ ने शिवकुमार को 19 नवंबर को नोटिस जारी कर 23 नवंबर को पेश होने को कहा था लेकिन उन्होंने बल्लारी, मस्की और बसावा कल्याण में पहले से तय बैठकों का हवाला देते हुए समय मांगा था। उनके अनुरोध पर सीबीआइ अधिकारियों ने उन्हें बुधवार को पेश होने की इजाजत दे दी थी।

एजंसी के समक्ष पेश होने से पहले शिवकुमार ने कहा कि वह जांच एजंसी के अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। कनकापुरा से विधायक ने अपने समर्थकों को बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी बदनामी हो। सीबीआइ ने पांच अक्तूबर को कर्नाटक, दिल्ली और मुंबई समेत 14 स्थानों पर शिवकुमार और अन्य से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी।

जमीन-जायदाद कारोबारी की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मुंबई, 25 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने अगस्त में कर्नाटक के हुबली में हुई गोलीबारी के मुख्य आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। इस वारदात में जमीन- जायदाद कारोबारी की मौत हो गई थी। एटीसी अधिकारी ने कहा, यूपी के बलरामपुर का निवासी आरोपी अंकुर सिंह उर्फ अनूप सिंह वारदात के बाद से फरार था, जिसमें हुबली में तीन हमलावरों ने कारोबारी इरफान हंचनाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

एमजीएम रिअल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड

CIN:U45200DL2008PTC181473

पंजी. कार्यालयः 108, प्रथम तल, मदनगीर गाँव, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली डीएल-110062/ईमेलः mgmrealtor12@gmail.com

30 सितम्बर, 2020 को समाप्त छमाही का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त छमाही 30.9.2020 (अनंकेक्षित)	समाप्त छमाही 30.9.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.3.2020 (अंकेक्षित)
भाग 1				
1.	प्रचालन से आय			
	क) शुद्ध बिक्री/प्रचालनों से आय	8594094	11739882	23479764
	ख) अन्य प्रचालन आय	–	–	476853
	कुल आय (क+ख)	8594094	11739882	23956617
2.	व्यय			
	क) व्यापार में भंडार में बृद्धि/कमी	–	–	–
	ख) कच्चे मालों की खपत	–	–	–
	ग) ट्रेड की गई सामग्रियों का क्रय	–	–	–
	घ) कर्मचारी लागत	–	159000	269800
	ङ) मूल्यहास	–		
	च) अन्य खर्चे	1670908	4203551	512408
	कुल खर्च	1670908	4362551	5393883
3.	अन्य आय, ब्याज एवं विशिष्ट मद से पूर्व प्रचालनों से लाभ	6923186	7377331	18562734
4.	अन्य आय			
5.	ब्याज एवं विशिष्ट मद से पूर्व प्रचालनों से लाभ (3-4)	6923186	7377331	18562734
6.	ब्याज	7825117	245672884	492952488
7.	ब्याज के बाद किन्तु विशिष्ट मदों से पूर्व लाभ (5-6)	(901931)	(238295553)	(474389754)
8.	विशिष्ट मदों	–		
9.	कर से पूर्व सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (7+8)	(901931)	(23829553)	(474389754)
10.	कर ब्याज			
11.	कर से बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ (9-10)	(901931)	(23829553)	(474389754)
12.	असाधारण मदों (नेट ऑफ टैक्स)			
13.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ (11-12)	(901931)	(23829553)	(474389754)
14.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	27790000	27790000	27790000
15.	प्रदत्त डेब्ट पूंजी	1890000000	1890000000	1890000000
16.	पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित	(994109618)	(518813621)	(993207687)
17.	डिबेन्चर विमोचन आरक्षित			
18.	आय प्रति शेयर (ईपीएस)	(0.32)	(85.75)	(170.71)
19.	ऋण इक्विटी अनुपात	(4.11)	(4.99)	(4.11)
20.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	0.00	0.01	0.00
21.	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	0.01	0.04	0.04

टिप्पणीः

1. 30 सित. 2020 को समाप्त छमाही के उक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार 24.11.2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये।
2. प्रदत ऋण पूंजी में केवल प्रतिभूत, विमोचनीय तथा गैर रुपांतरणीय डिबेन्चर्स (एनसीडी'ज) शामिल हैं जो बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।
3. लाभ की अनुपलब्धता में कम्पनी ने अवधि के दौरान डिबेन्चर विमोचन आरक्षित का निर्माण नहीं किया हैं।
4. अनुपातों की गणना के लिये प्रयुक्त फार्म्यूलाः ऋण इक्विटी अनुपातः कुल देयताऐं/शेयरधारकों की इक्विटी ऋण सेवा कवरेज अनुपात; शुद्ध प्रचालन आय (ब्याज एवं करों से पूर्व)/कुल ऋण ब्याज सेवा कवरेज अनुपातः शुद्ध प्रचालन आय (ब्याज एवं करों से पूर्व)/ब्याज खर्चे।
5. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 52(4) के अनुसार उद्घाटन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न किये गये हैं।

एमजीएम रिअल्टर्स प्रा.लि. के लिये
निलेश बाहरी
पूर्ण कालिक निदेशक
DIN:07114456

तिथिः 24.11.2020
स्थानः नई दिल्ली

IDFC FIRST Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)
CIN : L65110TN2014PLC097792
Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031.
Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

[नियम 8(1)]

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("अधिनियम") के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) ("नियम") के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों (1) मैसर्स श्री बालाजी बीन्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 3980/बी, नया बाजार, पुरानी दिल्ली-110006 ("कर्जदार 1") (2) मैसर्स ओम इंडस्ट्रीज (प्रोप. रचिन बंसल) 2647, तीसरी मंजिल, गली रघुनन्दन, नया बाजार, गली रघुनन्दन, दिल्ली-110006 ("कर्जदार 2") (3) मैसर्स एसबीएस पल्सेज एलएलपी पंजीकृत कार्यालय : 2647, तीसरी मंजिल, गली रघुनन्दन, नया बाजार, गली रघुनन्दन, दिल्ली-110006 ("बंधककर्ता-I/जमानती-I"), (4) श्री रमेश कुमार बंसल पुत्र श्री ओम प्रकाश बंसल ("बंधककर्ता-II/जमानती-II") निवासी : एच-22, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110052, (5) श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश बंसल ("बंधककर्ता-III/जमानती-III") निवासी एच-22, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110052 (6) श्री रचिन बंसल पुत्र श्री रमेश कुमार बंसल निवासी एच-22, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110052 ("बंधककर्ता-IV/जमानती-IV") से 31.03.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि कर्जदार-I से रु. 8,43,03,285.22 (रुपये आठ करोड़ तैंतालीस लाख तीन हजार दो सौ पिचासी एवं बाईस पैसे मात्र) तथा कर्जदार-II से रु. 12,65,26,280.88/- (रुपये बारह करोड़ पैंसठ लाख छब्बीस हजार दो सौ अस्सी एवं अट्ठासी पैसे मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 9 मई, 2019 को एक माँग सूचना ("आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मांग सूचनाएं") निर्गत की थी। कर्जदार-1 एवं कर्जदार-2 इसके पश्चात सामूहिक रूप से "कर्जदार" सन्दर्भित तथा बंधककर्ता I, बंधककर्ता-II/जमानती-II, बंधककर्ता-III/जमानती-III, बंधककर्ता-IV/जमानती-IV इसके पश्चात सामूहिक रूप से "बंधककर्ता/जमानती" संदर्भित।

बंधककर्ता/जमानती ने 8 जनवरी, 2020 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को प्रतिभूति आस्ति (जैसा कि यहां अनुसूची में वर्णित है) का कब्जा सरेंडर कर दिया था। तबसे प्रतिभूत आस्ति आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के संरक्षण में है।

ऊपर चिन्हित कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती अपने सम्बन्धित विधिक मांग सूचनाओं में आईसीआईसीआई बैंक एवं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा दावाकृत उपर्युक्त राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं और चूंकि उपर्युक्त विधिक मांग सूचनाओं की निर्धारित अवधि समाप्त हो गयी है अतः एतद्वारा कर्जदारों एवं बंधककर्ताओं/जमानतियों को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा आईसीआईसीआई बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अधिकृत (इसके सहमति पत्र द्वारा) होने के नाते प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/बंधककर्ताओं/जमानतियों तथा जनसामान्य एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन 31 अक्टूबर, 2020 तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कर्जदार-I से रु. 9,95,61,351.49 (रुपये नौ करोड़ पिचानबे लाख इकसठ हजार तीन सौ इक्यावन एवं उनचास पैसे मात्र) तथा कर्जदार-II से रु. 14,94,26,288.01 (रुपये चौदह करोड़ चौरानबे लाख छब्बीस हजार दो सौ अट्ठासी एवं एक पैसे मात्र) तथा आईसीआईसीआई बैंक के कर्जदार-I से रु. 39,24,75,483.63 (रुपये उनतालीस करोड़ चौबीस लाख पिचहत्तर हजार चार सौ तिरासी मात्र) तथा कर्जदार-II से रु. 6,45,06,861.77 (रुपये छः करोड़ पैंतालीस लाख छः हजार आठ सौ इकसठ एवं सतहत्तर पैसे मात्र) एवं भुगतान की तिथि तक अनुबंध दर पर भावी ब्याज के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में कर्जदार/बंधककर्ताओं/जमानतियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्रतिभूत आस्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. एच-22, माप 300 वर्ग गज, ब्लॉक-एच, अशोक विहार, फेज-I, दिल्ली में स्थित। सीमाएं : पूर्व : सर्विस लेन, पश्चिम : सड़क, दक्षिण : प्लॉट सं. 21, उत्तर : प्लॉट सं. 23

तथा उससे सम्बद्ध वर्तमान एवं भारी अधिकार, स्वतन्त्रताएं एवं अनुमोदन, भवन, स्ट्रक्चर, उत्थापन तथा/अथवा उस पर निर्माण एवं उसके पश्चात किये गये विकास एवं वर्तमान तथा भविष्य में उसकी भूमि से सम्बद्ध समस्त संयन्त्र एवं मशीनरी या स्थायी रूप से जुड़ी कोई वस्तु।

दिनांक : 24.11.2020
स्थान : दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

IDFC FIRST Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)
CIN : L65110TN2014PLC097792
Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031.
Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

[नियम 8(1)]

कब्जा सूचना

जबकि

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("अधिनियम") के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर 09 मई, 2019 को मांग सूचना ("आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मांग सूचनाएँ") जारी की थी जिसमें कर्जदारों (1) मेसर्स श्री बालाजी बीन्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय स्थित 3980/बी, नया बाजार, पुरानी दिल्ली-110006 ("कर्जदार-1"); (2) मेसर्स ओम इंडस्ट्रीज (प्रप्राइ. रचिन बंसल) 2647, तीसरा तल, गली रघुनंदन, नया बाजार, गली रघुनंदन, दिल्ली-110006 ("कर्जदार-2"); (3) मेसर्स एसबीएस पल्सेज एलएलपी, पंजीकृत कार्यालय स्थित 2647, प्रथम तल, गली रघुनंदन, नया बाजार, दिल्ली-110006 ("बंधककर्ता-I"/"जमानती-I"); (4) श्री रमेश कुमार बंसल पुत्र श्री ओम प्रकाश बंसल ("बंधककर्ता-II"/"जमानती-II") निवासी एच-22, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110052; (5) श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश बंसल ("बंधककर्ता-III"/"जमानती-III") निवासी एच-22, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110052; (6) श्री रचिन बंसल पुत्र श्री रमेश कुमार बंसल, निवासी एच-22, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110052 ("बंधककर्ता-IV"/"जमानती-IV") से उक्त सूचना में उल्लिखित दिनांक 31.03.2019 को कर्जदार-1 द्वारा राशि रु. 8,43,03,285.22/- (रुपये आठ करोड़ तेतालीस लाख तीन हजार दो सौ पिचासी और बाईस पैसा मात्र) और कर्जदार-2 द्वारा राशि रु. 12,65,26,280.88/- (रुपये बारह करोड़ पैंसठ लाख छब्बीस हजार दो सौ अस्सी और अठासी पैसा मात्र) को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। कर्जदार-1 और कर्जदार-2 को यहाँ आगे संयुक्त रूप से "कर्जदार" और बंधककर्ता-I/जमानती-I; बंधककर्ता-II/जमानती-II, बंधककर्ता-III/जमानती-III, बंधककर्ता-IV/जमानती-IV को संयुक्त रूप से "बंधककर्ता/जमानती" कहा गया है।

जबकि

आईसीआईसीआई बैंक लि. ("आईसीआईसीआई बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दोनों कर्जदारों को क्रमशः मांग सूचनाएँ 04 जुलाई, 2019 ("आईसीआईसीआई मांग सूचनाएँ") जारी की जिसमें (1) कर्जदारों (2) बंधककर्ता-III/जमानती-III, (3) बंधककर्ता-II/जमानती-II और (4) जमानती-IV को आईसीआईसीआई मांग सूचनाओं में उल्लिखित 31 मई, 2019 को बकाया राशि कर्जदार-1 द्वारा राशि रु. 31,69,65,829/- (रुपये इकत्तीस करोड़ उनहत्तर लाख पैंसठ हजार आठ सौ उनतीस मात्र) और कर्जदार-2 द्वारा राशि रु. 5,22,21,485/- (रुपये पाँच करोड बाईस लाख इक्कीस हजार चार सौ पिचासी मात्र) को भुगतान/वसूली तक अनुबंधित दर से इस पर भविष्य की ब्याज और अन्य प्रभार सहित उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। बंधककर्ता/जमानितयों ने प्रत्याभूत परिसंपत्ति (यहाँ अनुसूची में यथावर्णित) का कब्जा 9 सितंबर, 2019 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को सौंप दिया। इसलिए, प्रत्याभूत परिसंपत्ति आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के संरक्षण में है।

उपर्युक्त अभिनिर्धारित कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों द्वारा उपरोक्त राशि, संबंधित सांविधिक मांग सूचनाओं में आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. द्वारा यथादावित, का भुगतान करने में असफल रहने पर और उपरोक्त सांविधिक मांग सूचनाओं के तहत दिया गया समय समाप्त होने पर, एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदारों और बंधककर्ताओं/जमानतियों और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए और आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत (अपने सहमति पत्र द्वारा) होते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित प्रत्याभूत परिसंपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/बंधककर्ताओं/जमानतियों और सर्व जन को सामान्य रूप में प्रत्याभूत परिसंपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा प्रत्याभूत परिसंपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन भुगतान की तारीख तक अनुबंधित दर से भविष्य की ब्याज सहित दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को कर्जदार-1 द्वारा राशि रु. 9,95,61,351.49/- (रुपये नौ करोड़ पिचानवे लाख इकसठ हजार तीन सौ इक्यावन और उनचास पैसा मात्र) और कर्जदार-2 द्वारा राशि रु. 14,94,26,288.01/- (रुपये चौदह करोड़ चौरानवे लाख छब्बीस हजार दो सौ अठासी और एक पैसा मात्र) के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. के प्रभार और कर्जदार-1 द्वारा राशि रु. 39,24,75,483.63/- (रुपये उनतालीस करोड़ चौबीस लाख पिचहत्तर हजार चार सौ तिरासी और तिरसठ पैसा मात्र) और कर्जदार-2 द्वारा राशि रु. 6,45,06,861.77/- (रुपये छह करोड़ पैंतालीस लाख छह हजार आठ सौ इकसठ और सतहत्तर पैसा मात्र) के लिए आईसीआईसीआई बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण

एचएसआईआईडीसी, फेज-V, फूड पार्क इंडस्ट्रियल एस्टेट, उप तहसील राय, जिला सोनीपत, हरियाणा स्थित इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. 428, एरिया माप 450 वर्ग मीटर इससे जुड़े अधिकारों, लिवर्टीज और अनुमोदनों और इस पर वर्तमान और भावी, स्ट्रक्चर, उत्थापनों और/या निर्माणों और विकासों और जमीन से जुड़े या जमीन से जुड़ी किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधे सभी वर्तमान और भावी प्लांट और मशीनरी सहित

दिनांकः 24.11.2020
स्थानः हरियाणा

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

क्रेडिट रिव्यू मॉनिटरिंग एण्ड रिकवरी सेक्शन
क्षेत्रीय कार्यालय, सी-3, सेक्टर-1, नोएडा,
दूरभाष : 0120-2424896
ई-मेल : crmrecronoida@canarabank.com

बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका रचनात्मक कब्जा केनरा बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, सम्बद्ध पक्षकारों से बैंक के बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर 15.12.2020 को 12.30 बजे अप. से 01.30 बजे अप. तक [बिक्री की समाप्ति तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित तथा रु. 10,000.00 राशि की न्यूनतम वृद्धि के साथ] की जायेगी।
अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण, आरक्षित मूल्य, ईएमडी, देयताएं तथा ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो, निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	शाखा का नाम तथा कर्जदार का विवरण	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	सरफैसी माँग सूचना के अनुसार बकाया देयता	ईएमडी खाता विवरण
1.	छिपियाना बुजुर्ग श्री दिनेश कुमार पुत्र चन्दर भार एवं श्रीमती बीना कुमार पत्नी दिनेश कुमार खाता : 94489730000040	सम्पत्ति : आवासीय मकान माप 55.95 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. 136सी पर, खसरा नं. 569, ग्रीन एन्कलेव, ब्लॉक-बी, छिपियाना बुजुर्ग, परगना एवं तहसील-दादरी, जी.बी. नगर-201009 पर स्थित, श्री दिनेश कुमार पुत्र चन्दर भान के नाम पर, सीमाएं : पूर्व : 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : दीगर, उत्तर : 18 फीट चौड़ी सड़क एवं प्लॉट सं. 137, 141, दक्षिण : 25 फीट चौड़ी सड़क	रु. 2201448.00 (रुपये बाईस लाख एक हजार चार सौ अड़तालीस मात्र)	रु. 220145.00 (रुपये दो लाख बीस हजार एक सौ पैंतालीस मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 28.09.2018 के अनुसार देयता रु. 1698605.69 (रुपये सोलह लाख अट्ठानबे हजार छः सौ पांच एवं उनहत्तर पैसे मात्र) तथा 01.09.2018 से भावी ब्याज एवं समस्त लागतें, प्रभार, व्यय एवं उस पर अन्य आकस्मिक व्यय।	खाता सं. 94483020000019 अईएफएससी : SYNB0009448 शाखा : छिपियाना बुजुर्ग
2.	नोएडा सेक्टर 63(II) मैसर्स प्रेसिडियम आइस प्रोप. नीरज धींगरा आश्वस्ति 1. सुभाष चन्द धींगरा 2. श्रीमती कांता धींगरा पत्नी सुभाष चन्द धींगरा खाता : 86851400000281	सम्पत्ति : फ्लैट सं. ई-2/12009, 12वीं मंजिल, प्लॉट सं. 7, क्रॉसिंग रिपब्लिक, ग्राम धुंडाहेड़ा, गाजियाबाद, क्षेत्रफल 1270 वर्ग फीट (सुपर एरिया), श्रीमती कांता धींगरा के नाम पर। सीमाएं : पूर्व : 24 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम : स्कूल/पार्क के लिए प्रस्तावित साइट, उत्तर : गोल्फ कोर्स के लिए प्रस्तावित साइट, दक्षिण : खाली भूमि।	Rs 4200000.00 (रुपये बयालीस लाख मात्र)	रु. 420000.00 (रुपये चार लाख बीस हजार मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 11.12.2018 के अनुसार कुल देयता रु. 6163791.10 (रुपये इकसठ लाख तिरसठ हजार सात सौ इक्यानबे एवं दस पैसे मात्र) तथा 01.12.2018 से भावी ब्याज एवं समस्त लागतें, प्रभार, व्यय एवं उस पर अन्य आकस्मिक व्यय।	खाता सं. 86853020000017 अईएफएससी : SYNB0008685 शाखा : नोएडा सेक्टर 63-II
3.	नोएडा सेक्टर 63(II) आश्वस्ति 1. सुभाष चन्द धींगरा 2. श्रीमती कांता धींगरा पत्नी सुभाष चन्द धींगरा खाता : 6851400000281, 86851400000335 & 86859910000297	सम्पत्ति : प्लॉट सं. आई 37, इंडस्ट्रियल एरिया, II डीसी, मैसोरी गुलावटी रोड, तहसील-धौलाना, हापुड़, क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर, नीरज धींगरा पुत्र सुभाष चन्द धींगरा के नाम पर सीमाएं : उत्तर : 18 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्लॉट सं. आई-36, पूर्व : 18 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. आई-38	रु. 4930000.00 (रुपये उनचास लाख तीस हजार मात्र)	रु. 493000.00 (रुपये चार लाख तिरानबे हजार मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 11.12.2018 के अनुसार कुल देयता रु. 6163791.10 (रुपये इकसठ लाख तिरेसठ हजार सात सौ इक्यानबे एवं दस पैसे मात्र) तथा 01.12.2018 से भावी ब्याज एवं समस्त लागतें, प्रभार, व्यय एवं उस पर अन्य आकस्मिक व्यय।	खाता सं. 86853020000017 अईएफएससी : SYNB0008685 शाखा : नोएडा सेक्टर 63-II
4.	चितेहरा श्री वीरेन्द्र पुत्र श्री बाल स्वरूप आश्वस्ति : गुरचरन पुत्र लखिया खाता : 87817830000066	सम्पत्ति : खसरा नं. 336, खाता सं. 74, ग्राम चितेहरा दादरी, जी.बी. नगर, वीरेन्द्र पुत्र श्री बाल स्वरूप के नाम पर, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज। सीमाएं : उत्तर : वीरेन्द्र का मकान, दक्षिण : ज्ञानेन्द्र का प्लॉट, पूर्व : 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम : श्री रामपाल का मकान	रु. 1700000.00 (रुपये सत्रह लाख मात्र)	रु. 170000.00 (रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 07.09.2019 के अनुसार कुल देयता रु. 458666.70 (रुपये चार लाख अट्ठावन हजार छः सौ छियासठ एवं सत्तर पैसे मात्र) तथा 01.09.2019 से भावी ब्याज एवं समस्त लागतें, प्रभार, व्यय एवं उस पर अन्य आकस्मिक व्यय।	खाता सं. 87813020000013 अईएफएससी : SYNB0008781 शाखा : चितेहरा
5.	बिशरा श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी संदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री कान्ति स्वरूप, ग्राम पियावाली, ताजपुर, तहसील दादरी, जी.बी. नगर-203207 सह-कर्जदार : संदीप कुमार पुत्र श्री कान्ति स्वरूप, ग्राम ताजपुर, तहसील दादरी, जी.बी. नगर-203207 जमानती : श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा पुत्र इंदर दत्त शर्मा, ग्राम पियावाली, ताजपुर, तहसील दादरी, जी.बी. नगर-203207 खाता : 87677740000012	सम्पत्ति : आवासीय मकान खसरा नं. 481, ग्राम पियावाली ताजपुर, दादरी, जी.बी. नगर, उ.प्र. माप 200 वर्ग गज, श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी संदीप कुमार शर्मा के नाम पर। सीमाएं : उत्तर : 15 फीट चौड़ी राह एवं ओम दत्त शर्मा का प्लॉट, दक्षिण : अन्य के प्लॉट, पूर्व : आदर्श जूनियर हाई स्कूल, पश्चिम : श्रीमती माया देवी का प्लॉट।	रु. 2572000.00 (रुपये पच्चीस लाख बहत्तर हजार मात्र)	रु. 257200.00 (रुपये दो लाख सत्तावन हजार दो सौ मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 20.08.2019 के अनुसार कुल देयता रु. 1284689.00 (रुपये बारह लाख चौरासी हजार छः सौ नवासी मात्र) तथा 01.08.2018 से भावी ब्याज एवं समस्त लागतें, प्रभार, व्यय एवं उस पर अन्य आकस्मिक व्यय।	खाता सं. 87673170000012 अईएफएससी : SYNB0008767 शाखा : बिशरा
6.	नोएडा सेक्टर 51(II) श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री गुलाब सिंह गुप्ता फ्लैट सं. 475, ब्लॉक 28, फेज-2, केन्द्रीय विहार, सेक्टर 51, नोएडा, जी.बी. नगर-201304 श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी श्री राकेश कुमार गुप्ता	सम्पत्ति : फ्लैट सं. 475, ब्लॉक 28, फेज-2, केन्द्रीय विहार, सेक्टर 51, नोएडा, जी.बी. नगर-201304, उ.प्र. माप 84.38 वर्ग मीटर, श्री राकेश कुमार गुप्ता के नाम पर। सीमाएं : उत्तर : खुला भाग, दक्षिण : फ्लैट सं. 474, पूर्व खुला/फ्लैट सं. 476, पश्चिम : खुला	रु. 4500000.00 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)	रु. 450000.00 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 03.02.2020 के अनुसार कुल देयता रु. 3230726.43 (रुपये बत्तीस लाख तीस हजार सात सौ छब्बीस एवं तैंतालीस पैसे मात्र)	खाता सं. - 99383020000014 अईएफएससी : SYNB0009938 शाखा : नोएडा सेक्टर 51(II)
7.	डूंगरपुर रिल्का मैसर्स अन्नपूर्णा किराना स्टोर, प्रोप. श्री मनीष कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह, ग्राम ऊंची दनकौर, निकट मदीना मस्जिद, जी.बी. नगर, उ.प्र.-203201 श्री अनिल कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी नई बस्ती निकट पानी टंकी, पोस्ट-दनकौर, जी.बी. नगर, उ.प्र.-203201	सम्पत्ति : एक मंजिला वाणिज्यिक दुकान माप 18.22 वर्ग मीटर, ग्राम ऊंची, निकट मदीना मस्जिद, दनकौर-203201, श्री मनीष कुमार के नाम पर। सीमाएं : उत्तर : 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : म.नं. 318, पूर्व : जगदीश की दुकान, पश्चिम : म.नं. 318	रु. 1044000.00 (रुपये दस लाख चौवालीस हजार मात्र)	रु. 104400.00 (रुपये एक लाख चार हजार चार सौ मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 05.08.2019 के अनुसार कुल देयता रु. 949512.40 (रुपये नौ लाख उनचास हजार पांच सौ बारह एवं चालीस पैसे मात्र)	खाता सं. - 3700296000001 अईएफएससी : CNRB0003700 शाखा : डूंगरपुर रिल्का
8.	डूंगरपुर रिल्का मैसर्स जय बाबा मोहन राम ब्रिक उद्योग प्रोप. श्री महेन्द्र पुत्र श्री अजीपाल, निवासी ऊंची दनकौर, मोहल्ला हवेलिया, पोस्ट-दनकौर, जी.बी. नगर, उ.प्र.-203201 श्रीमती राजेन्द्री पत्नी श्री अजीपाल निवासी ऊंची दनकौर, मोहल्ला हवेलिया, पोस्ट दनकौर, जी.बी. नगर, उ.प्र.-203201	सम्पत्ति : प्लॉट सं. 91 (खाता सं. 38) (बाहर टॉउन एरिया), निकट चिश्ती पीर दरगाह, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर-203201, माप 592.17 वर्ग मीटर, श्रीमती राजेन्द्री पत्नी श्री अजीपाल के नाम पर। सीमाएं : उत्तर : जय सिंह, दक्षिण : अन्य प्लॉट/भूमि, पूर्व : अन्य प्लॉट/भूमि, पश्चिम : गांव की सड़क।	रु. 5625000.00 (रुपये छप्पन लाख पच्चीस हजार मात्र)	रु. 562500.00 (रुपये पांच लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 17.08.2019 के अनुसार कुल देयता रु. 1726687.70 (रुपये सत्रह लाख छब्बीस हजार छः सौ सत्तासी एवं सत्तर पैसे मात्र)	खाता सं. - 3700296000001 अईएफएससी : CNRB0003700 शाखा : डूंगरपुर रिल्का
9.	ग्रेटर नोएडा (II) श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कंवर सिंह निवासी सी-150, निकट सेक्टर अल्फा 1 मार्केट, ग्रेटर नोएडा 201310 श्रीमती कविता पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार निवासी सी-150, निकटर सेक्टर अल्फा 1 मार्केट, ग्रेटर नोएडा 201310 श्रीमती धीरावती पत्नी श्री कंवर सिंह निवासी सी-150, निकट सेक्टर अल्फा 1 मार्केट, ग्रेटर नोएडा -201310	सम्पत्ति : स्वतन्त्र मकान भूतल + 2 मंजिला माप 138.60 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. सी-150, निकट सेक्टर अल्फा मार्केट, ग्रेटर नोएडा 201310 श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कंवर सिंह के नाम पर। सीमाएं : उत्तर/पश्चिम : सड़क, दक्षिण/पूर्व : सी-151, उत्तर/पूर्व : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण/पश्चिम : सड़क	रु. 10700000.00 (एक करोड़ सात लाख मात्र)	रु. 1070000.00 (रुपये दस लाख सत्तर हजार मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 20.12.2017 के अनुसार कुल देयता रु. 2937730.00 (रुपये उनतीस लाख सैंतीस हजार सात सौ तीस मात्र)	खाता सं. - 88953020000017 अईएफएससी : SYNB0008895 शाखा : ग्रेटर नोएडा II
10.	आरएएच नोएडा (I) श्री अनिल कुमार तंवर	सम्पत्ति : प्लॉट सं. बी-514एम, त्रिवेणी विहार, निकट साई धाम, जी.टी. रोड, ग्राम नूरपुर, बरून हदूद, जी.टी. रोड, देवबंद, (सहारनपुर)-247554, श्री दीप कृपाल सिंह एवंश्री हरि कृपाल सिंह के नाम पर दोनों पुत्र श्री अनिल कुमार तंवर। सीमाएं : उत्तर : कृषि भूमि, दक्षिण : सुखपाल/अन्य, पूर्व : परती/अनिल तंवर, पश्चिम : सोसाइटी की भूमि।	रु. 35500000.00 (रुपये तीन करोड़ पचपन लाख मात्र)	रु. 3550000.00 (रुपये पैंतीस लाख पचास हजार मात्र)	सरफैसी मांग सूचना दिनांक 19.06.2019 के अनुसार देयता रु. 2,05,23,772/- (रुपये दो करोड़ पांच लाख तेईस हजार सात सौ बहत्तर मात्र) तथा 01.06.2019 से भावी ब्याज एवं समस्त लागतें, प्रभार, व्यय एवं उस पर अन्य आकस्मिक व्यय।	खाता सं. 3813296000001 अईएफएससी : CNRB0003813 शाखा : RAH Noida

बकाया देयताएँ : स्थानीय सरकार (सम्पत्ति कर, जल कर, बिजली के बिल आदि) रु. : उपर्युक्त किसी भी सम्पत्ति के लिए बैंक को ज्ञात नहीं

ईएमडी 11.12.2020 को 1700 बजे तक या इससे पूर्व जमा की जानी है। सम्पत्ति का निरीक्षण 09.12.2020 से 10.12.2020 को 10 बजे प्रातः से 5 बजे अप. के बीच किया जा सकता है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com या https://indianbankseauction.com में प्रावधानित लिंक "E-Auction" देखें या कार्यालयी घंटो के दौरान निम्नलिखित से सम्पर्क करें :

क्रम सं. 1 की सम्पत्ति हेतु : छिपियाना बुजुर्ग, शाखा प्रभारी श्री अनिरुद्ध राज, प्रबन्धक, मोबाइल : 7303411187, मेल आईडी : cb19448@canarabank.com, **क्रम सं. 2 एवं 3 की सम्पत्ति हेतु :** नोएडा सेक्टर 63-II शाखा प्रभारी श्री पंकज कुमार, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल नं. : 9870240605, मेल आईडी : cb18685@canarabank.com **क्रम सं. 4 की सम्पत्ति हेतु :** चितेहरा शाखा प्रभारी श्रीमती सपना, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबाइल : 9643191099, मेल आईडी : cb18781@canarabank.com,
क्रम सं. 5 की सम्पत्ति हेतु : बिशरा शाखा प्रभारी श्रीमती तान्या गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबाइल : 9560742517, मेल आईडी : cb18767@canarabank.com, **क्रम सं. 6 की सम्पत्ति हेतु :** नोएडा सेक्टर 51(II) शाखा प्रभारी सुश्री प्रीति यादव, प्रबंधक, मोबाइल : 7983568455, मेल आईडी : cb19938@canarabank.com **क्रम सं. 7 एवं 8 की सम्पत्ति हेतु :** डूंगरपुर रिल्का, शाखा प्रभारी श्रीमती श्रुति झा, प्रबन्धक, मोबाइल : 9648434373, मेल आईडी : cb3700@canarabank.com, **क्रम सं. 9 की सम्पत्ति हेतु :** ग्रेटर नोएडा II शाखा प्रभारी श्री अरुण कुमार, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल : 9868394318, मेल आईडी : cb18895@canarabank.com **क्रम सं. 10 पर सम्पत्ति हेतु :** आरएएच I शाखा प्रभारी श्री सुनील कुमार, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल : 9205277452, मेल आईडी : cb18895@canarabank.com उपर्युक्त शाखा प्रभारियों से किसी भी कार्यदिवस में कार्य घण्टों के दौरान सम्पर्क किया जा सकता है।

उपर्युक्त ई-नीलामी हेतु सेवा प्रदाता :
मैसर्स कैन बैंक कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल),
श्री सथियानाथन के.एम., मोबाइल : 9480691777, ई-मेल : eauction@ccsl.co.in, श्री रमेश टी.एच., मोबाइल : 8880531165,

तिथि : 24.11.2020 स्थान : नोएडा **अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बैंक**

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015
ईमेलः vkgandhi@abmintl.in फोनः +91-11-41426055
CIN: L51909DL1983PLC015585, वेबसाईटः www.abmintl.in,

पोस्टल बैलट की सूचना

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 एवं एमसीए परिपत्रों (नीचे परिभाषित) के अनुपालन में

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा ऐसे अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों एवं विनियमों (प्रचलित उसके किसी सांविधिक संशोधन(नों) या रीएनेक्टमेंट(टों) सहित) तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय, भारत सरकार ('एमसीए') द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 एवं सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 ('एमसीए परिपत्र') के सन्दर्भ में एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड ('कम्पनी') ने पोस्टल बैलट सूचना ('सूचना') उन सभी सदस्यों के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दी है जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदारों के माध्यम से डिपॉजिटरी तथा/अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयरअन्तरण एजेंट ('आरटीए') मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि. ('बीटल') के साथ सूचना दिनांक 23 नवम्बर, 2020 में उल्लिखित प्रकार्य के सन्दर्भ में विशेष संकल्प के माध्यम अपना अनुमोदन चाहने के लिए पंजीकृत कराया है।

प्रत्येक सदस्य के मताधिकार कटऑफ तिथि अर्थात 20 नवम्बर, 2020 तक कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्सों के अनुपात में होंगे जिसे मतदान हेतु विचार किया जायेगा। जो सदस्य कट-ऑफ तिथि अर्थात 20 नवम्बर, 2020 तक सदस्य नहीं है उसे इस सूचना को केवल सूचना के रूप में लेना चाहिए।

कम्पनी ने अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग' सुविधा देने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं ग्रहण की हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 28 नवम्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः (भा.मा.स.) प्रारम्भ होगी और 27 दिसम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) (दोनों तिथियाँ शामिल) पर समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग 27 दिसम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. के पश्चात सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट प्रक्रिया के संचालन के लिए निदेशक मण्डल ने मैसर्स मोहित मेहता एण्ड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी के श्री मोहित मेहता (सदस्यता सं. 46893) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कम्पनी के सदस्यों को एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि :

(क) रिमोट ई-वोटिंग हेतु आवश्यक निर्देश सूचना दिनांक 23 नवम्बर, 2020 में निर्धारित कर दिये गये हैं।
(ख) सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त उसे इसमें परिवर्तन करने या पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(ग) सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि तक कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।
(घ) व्याख्या विवरण रिमोट ई-वोटिंग निर्देश तथा एमसीए परिपत्रों के सन्दर्भ में 'रिमोट ई-वोटिंग' हेतु पोस्टल बैलट बैलट सूचना एवं प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए गैर-पंजीकृत सदस्यों हेतु ई-मेल पंजीकरण की प्रक्रिया सहित पोस्टल बैलट सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.abmintl.in पर उपलब्ध है। व्याख्यात्मक विवरण सहित पोस्टल बैलट की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.abmintl.in तथा स्टॉक एक्सचेंज जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
(ङ) एमसीए परिपत्रों के आलोक में, जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं और परिणामस्वरूप उन्हें ई-वोटिंग सूचना नहीं प्राप्त हुई है वे अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। ऐसे सदस्यों को इस सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने की सुविधा हेतु सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने ई-मेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अर्थात बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास investor@beetalfinancial.com पर पंजीकृत शेयरधारकों के नाम, फोलियो नम्बर, डीपी आईडी/क्लाइंट अईडी एवं धारित इक्विटी शेयरों की संख्या सहित ई-मेल करें ताकि वे सीडीएसएल द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से पोस्टल बैलट में निर्धारित विशेष प्रकार्य पर अपना मतदान कर सकें।
(च) यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्य कृपया इलेक्ट्रॉनिक धारिता के मामले में अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदारों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक धारिता के मामले में कम्पनी के आरटीए मैसर्स बीटल फाइनेंशियल कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि. के साथ नियत प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा पंजीकृत करा लें।
(छ) एमसीए परिपत्रों के आलोक में, वोटिंग केवल रिमोट ई-वोटिंग द्वारा की जा सकेगी। चूंकि रिमोट ई-वोटिंग के लिए भौतिक रूप से बैठक में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है अतः सदस्यों से स्वयं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी जाती है न कि किसी अन्य व्यक्ति/प्रॉक्सी के माध्यम से। पुनः इस पोस्टल बैलट के लिए सदस्यों के पास पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा प्री-पेड बिजिनेस लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट सूचना की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जायेगी और सदस्यों को केवल 'रिमोट ई-वोटिंग' सिस्टम के माध्यम से ही अपनी सहमति या असहमति दर्ज करानी होगी।
(ज) 'रिमोट ई-वोटिंग' से सम्बन्धित किसी पूछताछ/शिकायत के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री नितिन कुंदर (022 23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022 23058543) या श्री राकेश दलवी, प्रबंधक सीडीएसएल, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुर्म्बई, 400013 या helodesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजे या कॉल करें : 022 23058542/43.
(झ) पोस्टल बैलट के परिणाम मंगलवार, 29 दिसम्बर, 2020 को या इससे पूर्व अर्थात 'रिमोट ई-वोटिंग' के माध्यम से मतदान के अधिकतम 48 घंटों के भीतर कर दी जायेगी। इसे कम्पनी की वेबसाइट www.abmintl.in तथा सीडीएसएल के वेबलिंक https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp पर अपलोड किया जायेगा तथा साथ ही इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जायेगी जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड
ह./-
विरेन्दर कुमार गांधी
प्रबन्ध निदेशक

तिथि : 25.11.2020
स्थान : नई दिल्ली

कोरोना-अपराध रोकने में नाकाम सरकार, खामियां छिपाने कर रही हिंदू-मुसलमान

‘लव जिहाद’ अध्यादेश पर भड़के सपा सांसद बर्क बोले...

एजेंसी ▶▶ संभल

उप्र में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पूर्व संयोजक एवं संभल सांसद डॉ. शफीकुर रहमान बर्क ने ‘लव जिहाद’ अध्यादेश को गलत करार देते हुए कहा है कि कोर्ट ने जिस शादी को जुर्म नहीं माना तब योगी सरकार किस तरह दस साल की सजा तय कर रही है।

सरकार रेप मामले रोकने में सफल नहीं हो सकी, तो नई चीजें लाकर हिंदू-मुस्लिम कराना चाहती है। इसके अलावा बर्क ने कहा कि यह सरकार कोरोना वायरस और अपराध रोकने में भी असफल रही है और वह अपनी खामियां छिपाने के लिए ऐसा काम कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है।

2022 में सपा सरकार

सांसद डॉ. बर्क ने यूपी सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा कि यह लव जिहाद ही इस सरकार को खा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि लव जिहाद कानून मुसलमानों के खिलाफ है और पूरी कौम इसका जमकर विरोध करेगी। मुसलमान तो लड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन आरएसएस के लोग हिंदू-मुस्लिम कराना चाहते हैं, ताकि राजनीति का फायदा उठा सकें। बर्क ने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और नए भारत का निर्माण करेगी।

धर्मपरिवर्तन गैर जमानती संज्ञेय अपराध

राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने बताया कि इसे गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने और उससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की न्यायालय में विचारणीय बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण रद्द कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई धर्मांतरण छल, कपट, जबरन या विवाह के जरिए नहीं किया गया है, इसके सबूत देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले तथा करने वाले व्यक्ति पर होगी। उल्लंघन करने पर कम से कम 1 और अधिकतम 5 साल कैद व 15000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा है।

कट्टरपंथियों पर भड़कीं नुसरत जहां, कहा लव और जिहाद एक साथ नहीं हो सकते

इधर, उप्र सरकार के धर्म परिवर्तन से जुड़े अध्यादेश पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने कहा कि इस तरह के मसले सिर्फ चुनाव के पहले उठाए जाते हैं। लव जिहाद पर व्यक्तिगत मामला है, जो जिससे प्यार करता है, उससे विवाह करता है। कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, यह सब पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है। सांसद जहां ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहां कोई निरंकुशता नहीं है। लव-जिहाद एक विशेष समुदाय के खिलाफ एक

एजेंडे के रूप में भाजपा की तरफ से गढ़ा 1 शब्द है। नुसरत ने कहा कि लव और जिहाद एक साथ नहीं होते, यह मसला चलने वाला नहीं है। ये विशेष रूप से चुनाव से पहले उठाए मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि राजनेताओं और प्रशासकों को तरह हमें लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, धर्म आदि से रिश्ता-नाता रखते हों। गैरकानूनी और आपराधिक हरकत मिलेगी तो कानून है। मुझे न्यायिक व्यवस्था में पूरा भरोसा है। अदालत नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने को लाए कानूनों पर राय जाहिर कर चुकी है।

खबर संक्षेप

मेरठ में 350 मेहमान जुटे, पहली एफआईआर

मेरठ। शादी समारोह में कसेरूखेड़ा ऊंचा मोहल्ला नि. वीर सिंह की बेटी की शादी के लिए ग्राम मंडी सदर बाजार नि. राजू चौहान की बारात में शामिल लोगों की संख्या 350 मिली। गाइडलाइंस का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज होने का ये पहला मामला है।

बैंककर्मी ने आत्महत्या की 6 दिसंबर को होनी थी शादी

पश्चिम चंपारण। कालीबाग ओपी क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में विजय ठाकुर के मकान में किराए पर रह रहे बैंक कर्मी निश्चल कुमार भास्कर ने शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। 6 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी। वह परिवार का इकलौता पुत्र था।

इंजीनियर का अपहरण मांगी 15 लाख फिरौती

सहरसा। बिहार में अपराधियों ने सहरसा के सौर बाजार में मनरेगा के जू. इंजीनियर मुकेश कुमार भारती को अपहृत कर लिया है। घर जा रहे इंजी. को अगवा कर उसके पिता से फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी है।

प्रेमी संग पत्नी ने कुचला था पति का सर, भेजा जेल

जालौन। कालपी पुलिस ने बताया है कि मृतक की पत्नी नगीना ने प्रेमी जवेद बिंदकी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। नगीना ने पति को नींद की गोली देकर प्रेमी को घर बुलाकर ईंट व चाकू से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी व प्रेमी को जेल भेजा है।

अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून 1996 के तहत लिया निर्णय

योगी सरकार ने लगाया एस्मा, अब छह माह नहीं की जा सकेगी हड़ताल

मुख्यमंत्री ने कहा... उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

एजेंसी ▶▶ लखनऊ

उप्र में सीएम योगी ने छह माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगाया है। अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेगा।

उप्र सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए एस्मा लागू किया है। सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। उप्र कार्मिक विभाग अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल ने अधिसूचना जारी कर शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है।

एस्मा में बिना वारंट गिरफ्तार

आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल अवैध होती है। विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी आते हैं। उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 साल सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। एस्मा में पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वह इस कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वॉरंट गिरफ्तार कर सकती है।

होम स्टे से रोजगार देगी योगी सरकार

प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रही योगी सरकार ने लोगों घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू किया है। सरकार वन विभाग की होम स्टे योजना को प्रदेश भर में विस्तार देने में जुट गई है। वन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। लखीमपुर और बहराइच के छोटे दायरे में सीमित होम स्टे योजना का प्रदेश के कई जिलों में विस्तार किया जाएगा। इसके तहत वन विभाग पर्यटकों को राज्य के अलग-अलग स्थानों पर ठहरने और खाने पीने की सुविधा देगा। होम स्टे योजना के तहत वन विभाग ऐसे लोगों को जोड़ेगा जो पर्यटकों को ठहरने और खान-पान की सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसके बदले स्थानीय लोगों को पर्यटकों से किराए के रूप में एक निश्चित धनराशि के साथ खान-पान की कीमत भी मिलेगी।

लापरवाही और मानव अंग तस्करी का आरोप सीएम योगी ने जांच के लिए दिए आदेश

इधर, उप्र में दो मेडिकल कॉलेजों पर इलाज में लापरवाही व मानव अंग तस्करी की शिकायत मिली है। विनहट के पक्का तालाब निवासी शिव प्रकाश पांडेय का बेटा आदर्श कमल पांडेय (27) 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। आरोप है साजिश के तहत युवक की तबीयत बिगाड़ दी गई। 26 सितंबर को घरवालों को पहले मरीज ठीक बताया। वहीं 15 मिनट बाद दोबारा फोन कर आदर्श की मौत की सूचना दी गई। परिवारजनों ने मेडिकल कॉलेज पर आदर्श कमल को मारने का आरोप लगाकर मोहनलाल सांसद कौशल किशोर से परिवारजन ने शिकायत की। सांसद ने लापरवाही व मानव अंग तस्करी की आशंका का हवाला देकर एरा व इंटीग्रल मेडिकल कॉलेजों की जांच के लिए पत्र लिखा। कानून मंत्री बृजेश पाठक ने भी परिवारजनों की शिकायत को गंभीरता से लेते ही अफसरों को सीएम को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। सीएम ने टीम गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

बिहार राजनीति में तोड़-फोड़ के फोन से सर्द मौसम में पैदा हो गई गर्माहट

लालू के 3 सेवादार, सभी के मोबाइल से राजद सुप्रीमो की होती है बातचीत

एजेंसी ▶▶ रांची

बिहार चुनाव में जेल से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा राजनीति करने की बात उठी। चुनाव भले ही बिहार में हो रहा था, लेकिन उसका केंद्र रिम्स के केली बंगले से हो रहा था। इस पर पुख्ता मुहर मंगलवार की देर रात लगी, जब बिहार के ही पूर्व उप सीएम सुशील मोदी ने इससे संबंधित ट्वीट किया। इस ट्वीट से बवाल मच गया और राजनीतिक सियासत गर्म हो गई।

दरअसल एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। इसमें एनडीए के विधायक ललन पासवान से बात करते हुए लालू प्रसाद की आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने विधायक को स्पष्ट शब्दों में कहा बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में एबसेंट हो जाएं, फिर राजद उनके लिए बहुत कुछ करेगा। बताया जा रहा है कि जिस मोबाइल से राजद सुप्रीमो ने बिहार में एनडीए के विधायक से बात की थी, वह उनके सेवादार नंबर 1 इरफान अंसारी का है। इरफान ने ही विधायक के पीए से बात कर लालू से उनकी बात करवाई थी। करीब 2 मिनट तक दोनों के बीच दो कॉल में बात हुई है। रिम्स में लालू प्रसाद के तीन सेवादार हैं।

पूर्व डिप्टी सीएम मोदी ने कहा, कामयाब नहीं होंगे

भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर आरोप लगाया था कि वे बिहार में एनडीए की सरकार अस्थिर करने की कोशिश में हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ‘लालू प्रसाद यादव रांची से एनडीए विधायकों को फोन कर रहे हैं और उन्हें मंत्री पद देने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने (सुशील मोदी) उनको कहा कि जेल से यह गंदा खेल न खेलें, कामयाब नहीं होंगे, जबकि लालू द्वारा रिम्स गेस्ट हाउस से भाजपा विधायक ललन पासवान को प्रलोभन पर भाजपा ने सख्त रवैया अपनाया है।

‘तुम हमारा साथ दो... तुमको मंत्री बनाएंगे... कल इनको गिरा देंगे’

अच्छा सुनो, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे... यहां... कल जो स्पीकर का चुनाव है, उसमें हम लोगों का साथ दो... तो उसका... हम तुमको बनाएंगे... मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे। समझे न... यह उसी ऑडियो क्लिक का अंश है, जिसे कथित तौर पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की आवाज बताया जा रहा है। हरिभूमि ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया था कि लालू यादव जेल से ही बिहार की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो की शुरुआत जिस आवाज के साथ होती है, वह लालू के सहयोगी (पीए) की बताई है।

जेल से फोन कैसे? डिप्टी सीएम तारा लिखेंगे खत

भाजपा नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि लालू द्वारा भाजपा विधायक को फोन से सदन में अनुपस्थित की बात संबंधी प्रलोभन देना गंभीर मामला है। जेल में रहते हुए लालू फोन कैसे कर सकते हैं? डिप्टी सीएम प्रसाद ने कहा कि मामले की जांच के लिए वो झारखंड सरकार को पत्र लिखेंगे। फोन वहां से हुआ है इसलिए झारखंड सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वह कार्रवाई नहीं करती है तो हम केंद्र का भी रुख कर सकते हैं और सीबीआई जांच की भी मांग कर सकते हैं।

पेज एक का शेष

कांग्रेस के संकटमोचक ...

उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस एवं कई अन्य दलों के नेताओं ने पटेल के निधन पर दुख जताया है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्वस्त सहयोगियों में से एक पटेल वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह पार्टी के संकटमोचक के रूप में भी जाने जाते थे। पटेल 1993 से पांच बार लगातार गुजरात से राज्यसभा के सदस्य थे। इससे पहले वह 1977, 1980 और 1984 में लगातार तीन बार गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से सांसद बने।

कोटा में गुम गई थी बहन ...

संपर्क थे, सभी को टटोला। तभी अहमद पटेल की याद आई। उन्हें बताया तो वे तलाश के लिए सक्रिय हो गए, चैन से नहीं बैठे। रातभर मेहनत कर बहन को ढूंढ निकाला और सुरक्षित घर तक पहुंचवाया। ये थी उनकी खासियत। मोतीलाल वोरा ने कहा कि लंबे अरसे तक कांग्रेस और देश की सियासत में एक साथ रहकर काम करने के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, लेकिन अहमद पटेल ने निजी रूप से मेरे परिवार के लिए ये काम किया है, जो कभी न भूलने वाला है। श्री वोरा ने बताया कि उनकी वह बहन अभी बीकानेर (राजस्थान) में रह रही हैं। यह घटना ऐसे हुई थी, जब वे ट्रेन से राजस्थान से रायपुर के लिए निकलीं और कोटा में ट्रेन से उतरी थीं। इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और बहन वहीं छूट कर गुम गई थीं। इस बीच शाम हो गई और कहीं उनका पता नहीं लग रहा था। अहमद भाई ने इस परेशानी के समय बड़ी मदद की थी।

संगठन को अच्छी तरह समझते थे पटेलः मोतीलाल वोरा ने याद किया कि अहमद पटेल से 30 साल से अधिक समय से अच्छा परिचय व घनिष्टता थी। हम लोग पार्टी व संगठन से जुड़े सभी मामलों को लेकर ऑफिस में साथ बैठकर सलाह मशविरा किया करते थे। श्री वोरा के अनुसार अहमद पटेल संगठन को बेहतर तरीके से समझते थे। उनकी विशेषता थी कि वे सबका विश्वास हासिल कर लेते और सबको साथ लेकर चलने की उनकी शैली थी। इसके साथ ही वे कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। बेहद मिलनसार होने के साथ वे लोगों के लिए मददगार थे। कोई भी व्यक्ति अगर मदद के लिए उनके घर जाकर मिलता, तो वे जरूर मदद किया करते थे। सबके सुख-दुख में उनकी भागीदारी होती थी।

हम सभी कांग्रेसियों ...

व्यवहार कुशल और सदैव मुस्कुराते रहना उनकी पहचान थी। मीडिया से दूर, पर कांग्रेस के हर फैसले में अहमद पटेल शामिल रहते थे। कड़वी बात भी बेहद मीठे शब्दों में कहना उनसे कोई भी सीख सकता था। कांग्रेस पार्टी उनका योगदान कभी नहीं भुला सकती। **कोई कितना भी गुस्सा हो जाए वे संतुष्ट करके ही भेजते थेः** *सिंह ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि कोई भी कितना ही गुस्सा हो कर जाए उनमें यह क्षमता थी वे उसे संतुष्ट कर ही भेजते थे। सिंह ने अहमद पटेल के धार्मिक व्यक्तित्व को भी याद किया। वो कहीं पर भी रहें, नमाज पढ़ने से कभी नहीं चूकते थे।* ***कमलनाथ ने कहा- मेरे बेहद करीबी मित्र के निधन से स्तब्ध हूंः*** *पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अहमद पटेल के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि उनका निधन मेरे लिए बेहद व्यक्तिगत क्षति है।*

उनका असमय चले जाना कांग्रेस परिवार के लिए ऐसी क्षति है जो सदैव अपूरणीय है।

कल से जमाकर्ता ...

ऑफ इंडिया से कहा है कि वे मैनेजमेंट के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिसके चलते बैंक डूबने के कगार पर पहुंचा। गौरतलब है कि लक्ष्मी विलास बैंक को सरकार ने मोरेटोरियम में डालते हुए 25 हजार रुपए की निकासी तय करने समेत उस पर 16 दिसंबर तक के लिए कई तरह की पाबंदिया लगा दी थी।

ऐसा पहली बारः भारतीय बैंक ...

लिमिटेड (डीबीआईएल) के साथ विलय करने को कहा था। ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय बैंक को सुरक्षित रखने के लिए उसके विदेश प्रतिद्वंद्वी बैंक को चुना।

केंद्र की मंजूरी के बगैर ...

का फैसला नहीं ले पाएंगे।

बुजुर्गों, बच्चों, बीमार और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाहः ज्यादा जोखिम वाले लोगों जैसे 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी न हो, उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए।

एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई रोक नहीं: एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के ही भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

विशेषज्ञ मौत के ...

अंतर है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 23 नवंबर तक कोविड-19 से कुल 8512 लोगों की मौत हुई है जबकि नगर निगमों ने दावा किया कि उसने 10,318 लोगों के अंतिम संस्कार किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को लगातार पांचवें दिन 100 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई। मंगलवार को मृत्यु दर 1.89 प्रतिशत थी। दिल्ली में मंगलवार को 109 लोगों की मौत हुई जबकि सोमवार को 121 संक्रमितों की जान गई थी। यह बीते 13 दिन में सातवीं बार है जब एक दिन में मृतक संख्या 100 के पार गई है।

कोरोना मरीजों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए : बैजल- दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गृह पृथक-वास में रखे गए कोविड-19 मरीजों को आपातकालीन स्थिति में समय रहते अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि महामारी से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आ सके। सूत्रों ने कहा उपराज्यपाल ने गृह पृथक-वास में रखे गए कोविड-19 मरीजों की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया। गौरतलब है कि गृह पृथक-वास में रह रहे अनेक लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार तक कोविड-19 के 22,246 मरीज गृह पृथक-वास में थे। बैजल ने बुधवार को दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों की तैयारी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी नई रणनीति के कार्यान्वयन का जायजा लिया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक में बैजल ने अधिकारियों से निगरानी, जांच और आईसीयू तथा वेंटिलर आदि की संख्या बढ़ाने को कहा।

वाद को विवाद ...

दशकों में आम जन मानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए पूरे देश में विधानमंडलों की भूमिका व जिम्मे दारियां और भी बढ़ गई हैं। उन्होने कहा कि जन-प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे, लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठा वान रहें। उन्होने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और जन-प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की है।

कोविन्द ने यह कहा कि देश की जनता, अपने नेताओं से, संसदीय परम्पराओं और मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा करती है। इसलिए, कभी-कभी जब जन-प्रतिनिधियों द्वारा संसद या विधान सभा में, अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित आचरण किया जाता है, तो जनता को बहुत पीड़ा होती है। इसलिए जन-कल्याण और देश के व्यापक हित में, जन प्रतिनिधियों को सामंजस्य और समन्वरय का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक व्यंवस्थाओ में, ‘वाद’ को ‘विवाद’ न बनने देने के लिए ‘संवाद’ का माध्य म ही, सबसे अच्छाभ माध्य म होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजरात की भूमि के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए कहा कि यह राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी और भारत के लौह पुरुष, सरदार पटेल की जन्म स्थली है। उन्होंने यह भी कहा कि केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित किए जा रहे 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन से संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने में बहुत मदद मिलेगी।

उपराष्ट्रपति नायडू ...

किए बगैर काम करते हैं और सौहार्द बना रहता है।

परस्पर सम्मान, जवाबदेही और धैर्य की जरूरतः *नायडू ने कहा कि इसमें परस्पर सम्मान, जवाबदेही और धैर्य की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे कई उदाहरण हैं जब सीमाएं लांघी गईं। नायडू ने कहा कि ऐसे कई न्यायिक फैसले किए गए जिसमें हस्तक्षेप का मामला प्रतीत होता है। कुछ उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को ‘सर्वोपरि कार्यपालिका’ या ‘सर्वोपरि विधायिका’ की तरह नहीं समझना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘स्वतंत्रता के बाद से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ऐसे कई फैसले दिए जिनका सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों पर दूरगामी असर हुआ। इसके अलावा इसने हस्तक्षेप कर चीजें ठीक कीं। लेकिन यदा-कदा चिंताएं जताई गईं कि क्या वे कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं।*

समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे उत्थानःबिरलाः *लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान संसद व विधान मंडलों को जन भावनाओं के अनुरूप काम करने का आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा, ‘जनप्रतिनिधि के रूप में हमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।’*

ट्विटर को टक्कर देगा ...

है। टूटर ने साइट पर 'हमारे बारे में' सेक्शन में बताया है, 'हमारा मानना है कि भारत में एक स्वदेशी सोशल नेटवर्क होना चाहिए। टूथर हमारी स्वदेशी आंदोलन 2.0 है। इस आंदोलन में हमसे जुड़ें।'

भारत में गूगल पे ...

जा रही है। कंपनी इस सर्विस के बदले इंस्टैंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जोड़ेगी, लेकिन इसके लिए यूजर्स को चार्ज देना होगा।

अमेरिका में ...

कंपनी ने अमेरिका के अपने यूजर्स को सूचित किया है कि वे 2021 में पैसे भेजने या उससे पैसे स्वीकार करने के लिए नए गूगल पे एप का यूज करें।

एमएलसी चुनाव पर अखिलेश...

अगर बिहार के जैसी लूट न हुई तो सपा जीतेगी चुनाव

एजेंसी ▶▶ कन्नौज

पूर्व सीएम एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वे बोले इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। इसके अलावा यूपी में कोई विकास नहीं किया गया है, थानों में जमकर लूट हो रही है। किसानों की आय दोगुनी का दावा करने वाली भाजपा सरकार में धान को लूट लिया गया है। किसान परेशान है और आम जनता पर महंगाई और बेरोजगारी की मार है। कहा, सरकार ऐसे कानून बनाए, जिससे किसान को धान की सही कीमत मिल सके और आय दोगुनी हो सके। युवाओं को नौकरी व रोजगार मिल सके, बिजली बिल कम हो सके। उन्होंने कहा, एमएलसी चुनाव में यदि बिहार जैसी लूट न हुई तो सपा चुनाव जीतेगी। लोकसभा के चुनाव में भी जबरदस्ती चुनाव जीता गया। रेड कार्ड जारी किए, लाठियां चलाई गईं। वे आगामी चुनाव में सपा गठबंधन की बात पर टाल गए।

विजय स्पीकर, पक्ष में 126 वोट, विपक्ष में 114

पटना। बिहार के संसदीय इतिहास में अरसे बाद विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने विजय कुमार सिन्हा के बिहार विधान सभा के स्पीकर पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की। राजग प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। बुधवार को भारी हंगामे और शोर-शराबे के बीच प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों को खड़ा कर मत विभाजन किया। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में राजग उम्मीदवार विजय सिन्हा के पक्ष में 126 विधायकों खड़े होकर अपना समर्थन दिया। महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के समर्थन में 114 विधायक खड़े हुए। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने विजय सिन्हा के अध्यक्ष चुनने की घोषणा के बाद सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी नए अध्यक्ष को आसन तक ले गए और उन्हें पदभार ग्रहण कराया।